

क्रि० मिस० केश नं०- १०७ / २०१७

१५/१२/२०२०

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनापरांत स्पष्ट होता है कि वर्तमान वाद की वैधनिक अवधि एक वष वात चुकी है। उभय पक्ष की आर से या संबंधित थाना प्रभारी से शांति भंग होने संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं है।

अतः वर्तमान वाद समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

१५/१२/२०२०

अनुमण्डल घण्टाधिकारी,

गाड़ा।

१५/१२/२०२०

अनुमण्डल घण्टाधिकारी

गाड़ा।